न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा राज0

पीठासिन अधिकारी — चन्द्रशेखर भण्डारी
आर0ए0एस0,

प्रकरण सं0 100/2021 प्रार्थना पत्र

श्री नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर पिता श्री लक्ष्मीलाल जी जाति धाकड उम्र 53 साल निवासी मण्डावली तह0निम्बाहेडा राज0 .....प्रार्थी

/बनाम/

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सा0 निम्बाहेडा .....विपक्षी

प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0ले0रे0एक्ट

//आदेश// दिनांक 31.05.2022

प्रार्थी की ओर सेः— अधिवक्ता श्री बाबुलाल पाटीदार
विपक्षी की ओर सेः— एक पक्षीय

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में उक्त उनवान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मण्डावली प0ह0 ढोरिया तह0निम्बाहेडा में निम्न लिखित आराजीयात स्थित हैंः—

पुरानी आ0नं0	रकबा बिघा—बिस्वा	नवीन आराजी नं0	रकबा हेक्टेयर में
666	09—14	1149	02.45
667	09—07	1151	02.37
808/526	06—04	992	01.57
766/667	00—08	1150	00.10

पुष्टि में नकल जमांबदीया पुरानी खाता एवं नवीन खाता की एवं मिलान क्षैत्रफल की नकले प्रस्तुत की।

उपरौक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के भाई बाबुलाल द्वारा अपना दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा जरिये पंजीकृत हकत्याग विलेख के माध्यम से दिनांक 04.11.2009 को प्रार्थी के हक में हकत्याग कर मौके पर कब्जा भी प्रार्थी को सिपुर्द कर दिया, जिसके आधार पर प्रार्थी अपने भाई बाबुलाल के सम्पूर्ण हक हिस्से का एक मात्र मालिक काबिज व खातेदार काश्तकार हो गया है एवं उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर इन्तकाल नं0 1141 स्वीकृत किया और नामान्तरण पंजीका में प्रार्थी का नाम दर्ज किया गया एवं बाबुलाल का नाम हटाया जाकर बाबुलाल का सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के नाम पर दर्ज किया गया। जिसके अनुसार आराजी नं0 766/667 में प्रार्थी

नन्दलाल का 5/32 हिस्सा एवं आराजी नं0 667 व 808/526 कुल किता 2 कुल रकबा 15 बिघा 11 बिस्वा में प्रार्थी का 5/32 हिस्सा दर्ज किया एवं आराजी नं0 666 में प्रार्थी का 10/194 वां हिस्सा दर्ज किया गया एवं उक्त आराजी से बाबुलाल का नाम हटाने की स्वीकृति हुई। पुष्टि में पंजीकृत हकत्याग विलेख एवं नामान्तरकरण सं0 1141 की प्रमाणित प्रतिलीपी प्रस्तुत की ।

मोहनी खातेदार द्वारा भी हकत्याग करने से इंतकाल नं0 1140 से खाते से मोहनी का नाम हटाया गया और मोहनी का हिस्सा प्रार्थी व उसके भाई बाबुलाल व छगनलाल के नाम पर दर्ज किया गया व बाबुलाल के हक त्याग करने से उसका हिस्सा प्रार्थी नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर के नाम इंतकाल नं0 1141 खोला गया। इसलिये उक्त आराजीयात में हकत्याग कर्ता मोहनीबाई व बाबुलाल का कोई भी हक हिस्सा शेष नहीं रहा हैं, लेकिन खाते सें मोहनीबाई का नाम तो हटा दिया गया लेकिन बाबुलाल का नाम हकत्याग करने के बावजुद भी सहवन से दर्ज रह गया। जिसे हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

उक्त नामान्तरकरण सं0 1141 खोले जाने के बाद संवत 2065 से 2068 में उक्त नामान्तकरण का दाखिला भी लगाया गया लेकिन उक्त दाखिला नामान्तरकरण सं0 1141 के विपरित जाकर बाबुलाल का हक हिस्सा बदस्तुर दर्ज कर दिया, जबकि उक्त जमाबंदी खाता सं0 89 में नोट– इंतकाल नं0 1140 व 1141 हकत्याग पत्र द्वारा खाते में मोहनी व बाबुलाल के बजाय श्री नन्दलाल 5/32, छगनलाल 3/32 पिता लक्ष्मीलाल धाकड दर्ज करने की स्वीकृति हुई, शेष बदस्तुर रहेगा। इसी तरह खाता सं0 90 में भी दर्ज हैं। उसके बावजुद भी जमाबंदी में नाम सहवन से दर्ज रह जाने से बाबुलाल का नाम हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 110 की आराजी नं0 1151, 992 में खातेदार क्रमांक 7 पर बाबुलाल पुत्र लक्ष्मीलाल 5/64 हिस्सा दर्ज कर दिया, जबकि बाबुलाल द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थी नन्दकिशोर के हक में हक त्याग कर दिया था, इसलिये उक्त नवीन खाते में नन्दकिशोर का 10/64 हिस्सा दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

इसी प्रकार नवीन खाता सं0 111 की आराजी नं0 1150 में खातेदार क्रमांक 4 पर बाबुलाल पुत्र लक्ष्मीलाल का 1/16 हिस्सा दर्ज कर दिया जिसे हटाया जाकर उक्त खाते में नन्दकिशोर का 5/32 हिस्सा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं।

इसी प्रकार नवीन खाता सं0 112 की आ0नं0 1149 में खातेदार क्रमांक 8 पर बाबुलाल पुत्र लक्ष्मीलाल का 5/194 हिस्सा दर्ज कर

दिया जिसे हटाया जाकर खाते में नन्दकिशोर पुत्र लक्ष्मीलाल का 10/194 हिस्सा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

प्रार्थी ने अभी हाल ही में पटवारी हल्का से आवश्यक कार्य से खाते की जानकारी की तो पता चला कि जमाबंदी में बाबुलाल का नाम भी दर्ज है, जिस पर प्रार्थी ने नवीन जमाबंदी एवं पुरानी जमाबंदी एवं नामान्तरकरण की नकले हेतु आवेदन किया और समस्त दस्तावेंजो की नकले दिनांक 14.07.2021 को प्राप्त होने पर उक्त त्रुटी की जानकारी हुई और जानकारी होते ही आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते ही यह आवेदन इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बाद तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अपनाई गई।

प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजीयात की जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतू आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त जावदा तह0निम्बाहेडा को जांच रिपोर्ट हेतू आदेशित किया तथा उक्त आदेश की पालना में तहसीलदारा निम्बाहेडा द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 17.10.2021 को बना कर न्यायालय में दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत की जिसके अवलोकन से स्पष्ट हैं कि राजस्व रेकार्ड में हकत्याग के बावजुद बाबुलाल का नाम सहवन से दर्ज रह गया है, जिसे हटाया जाना आवश्यक हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी खाता सं0 110 संवत 2077–80 एवं नकल जमाबंदी खाता सं0 111 संवत 2077–80 एवं खाता सं0 112 संवत 2077–80 का अवलोकन किया एवं भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 17.10.2021 का अवलोकन किया एवं हकत्याग पत्रो का अवलोकन किया हैं। प्रार्थी ने सभी प्रभावित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो भी त्रूटीपूर्ण है। बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा । प्रार्थीगण अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)